आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई०सी०डी०एस० पुनरीक्षण वाद संख्या – 90/2021

रंजू सहनी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	**आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर**	*आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ*
18.05.2023	प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के वाद सं०–19/2019 में दिनांक 13.09.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यह वाद पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिला के मधुबनी प्रखंड के ग्राम पंचायत राज धनहाँ के वार्ड सं०–14 के आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–131 पर सेविका चयन से संबंधित है। उक्त केन्द्र पर 05 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिया गया। आवेदन के जाँचोपरांत मेधा सूची का प्रकाशन हुआ। मेधा सूची के क्रमांक 01 पर की अभ्यर्थी बाहुल्य वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं थी, इसलिए उन्हें अयोग्य कर दिया गया। मेधा सूची के क्रमांक–02 की अभ्यर्थी (श्रीमती रंजू सहनी) का प्राप्तांक सबसे अधिक था एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित थी, इसलिए चयन समिति ने सर्वसहमति से उनका चयन कर लिया। इसके बाद विपक्षी सं०–06 (नसीबा खातुन) ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मधुबनी–पिपरासी के यहाँ दिनांक 27.06.2019 को आवेदन दी थी कि बिना मैट्रिक के अंक पत्र के ही वादी (श्रीमती रंजू सहनी) का चयन केन्द्र सं०–131 पर कर लिया गया एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा तथ्यों/साक्ष्यों की जाँच किये बगैर विपक्षी सं०–06 (नसीबा खातुन) का चयन कर लिया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध वादी (श्रीमती रंजू सहनी) ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण के समक्ष वाद	

WEB COPY NOT OFFICIAL

	सं०–19/2019 दायर किया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के आदेश को बरकरार रखा गया। वादी (श्रीमती रंजू सहनी) द्वारा मैट्रिक एवं इंटर दोनो में 68 % मार्क्स प्राप्त किया गया है, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी द्वारा न्यायालय को गुमराह किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि वादी के परिवार का घर दोनो जगह (प्रखंड–मधुबनी और भितहां) पर है। परंतु वादी अपने पति और भैसुर के साथ पंचायत–धनहा के वार्ड सं०–14 में निवास करती है। ग्राम पंचायत–हथुअहवा, वार्ड सं०–02 के मतदाता सूची में सिर्फ वादी के सास का नाम है। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है। विपक्षी सं०–06 (नसीबा खातुन) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वादी (श्रीमती रंजू सहनी) द्वारा ऑनलाईन आवेदन में अपना इंटर का प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र संलग्न किया गया था। इंटर के अंक–पत्र के आधार मेधा अंक 68 प्रतिशत दर्शाया गया। जबकि चयन मार्गदर्शिका 2019 के नियम 4 में चयन हेतु योग्यता मैट्रिक का उल्लेख है तथा मैट्रिक के अंक के आधार पर मेधा सूची तैयार किया जाना है। वादी के ऑनलाईन आवेदन में संस्थान का नाम RKML College, Patti Kushinagar अंकित है तथा प्राप्तांक 340 एवं उत्तीर्ण वर्ष 2015 का उल्लेख है। वादी द्वारा संलग्न इंटर के प्रमाण–पत्र में भी संस्थान का नाम RKML College, Patti Kushinagar, प्राप्तांक 340 एवं वर्ष 2015 का उल्लेख है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा इंटर का प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया था। वादी वार्ड सं०–14 का निवासी नहीं है केवल वादी के ससुर श्री बद्री चौधरी का नाम वार्ड सं०–14 के मतदाता सूची में दर्ज है। वादी के परिवार के सदस्य जैसे ससुर, सास, भैसुर का नाम वर्ष 2016 के पंचायत मतदाता सूची में दो अलग–अलग प्रखंड के पंचायत में दर्ज है। वादी के केवल ससुर श्री बद्री चौधरी का नाम रिक्ति वाले आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र मे दर्ज है। वादी के परिवार के अन्य सदस्यों का नाम 2016 के पंचायत मतदाता सूची में प्रखंड–भितहां, पंचायत–हथुअहवा, वार्ड सं०–02 में दर्ज है। श्रीमती रंजू सहनी के परिवार के सभी सदस्य राशन का उठाव प्रखंड–भितहां, पंचायत–हथुअहवा से करते है। इस प्रकार वादी (श्रीमती रंजू सहनी)	

WEB COPY NOT OFFICIAL

आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–131 के पोषक क्षेत्र वार्ड सं०–14 की निवासी नहीं है। वादी द्वारा दायर पुनरीक्षण वाद अस्वीकृत होने योग्य है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि वादी श्रीमती रंजू सहनी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में मैट्रिक के जगह पर इंटर का अंक–पत्र अपलोड किया गया है जो विभागीय नियमावली के अनुरूप नहीं है। निदेशक ICDS निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक 721 दिनांक 28.01.2020 में अंकित है कि आवेदिका द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस प्रकार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल है। एवं वादी द्वारा दायर पुनरीक्षणवाद अस्वीकृत होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय में पोषित अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत वाद पश्चिम चम्पारण जिलांतर्गत ग्राम पंचायत–धनहा, वार्ड सं०–14, आँगनबाड़ी केन्द्र सं०–131, जाति बाहुल्यता–अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए सेविका चयन से संबंधित है। कुल पाँच अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित किया गया था, जिसमें दो अभ्यर्थी बाहुल्य वर्ग से बाहर की थी एवं एक अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन वापस ले लिया गया। वादी (श्रीमती रंजू सहनी) द्वारा समर्पित ऑनलाईन आवेदन में शैक्षणिक योग्यता–मैट्रिक, उत्तीर्ण वर्ष–2015, प्राप्तांक–340, प्रतिशत–68% अंकित है। वादी (श्रीमती रंजू सहनी) के मैट्रिक एवं इंटर के अंक–पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्हें दोनो परीक्षाओं में अतिरिक्त विषय को छोड़कर कुल 340 अंक (अधिकतम अंक 500) प्राप्त है। मैट्रिक का उत्तीर्णता वर्ष–2013 है, जबकि इंटर का उत्तीर्णता वर्ष 2015 है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में इंटर का प्राप्तांक–340 अंकित किया गया है। वादी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन के साथ मैट्रिक का अंक–पत्र संलग्न न कर इंटर का अंक–पत्र संलग्न किया गया है, जिसका **प्रमाण–पत्र सं०–7832395** है तथा दिनांक 17.05.2015 को निर्गत है। आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2019 की कंडिका–04 में अंकित है कि **''आँगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोड़कर) (जिसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो) उत्तीर्ण होगी। अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता नहीं दी जायेगी।''**

WEB COPY NOT OFFICIAL

निदेशक, ICDS निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक 721 दिनांक 28.01.2020 द्वारा सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को परिचारित किया गया है कि ***"आवेदिका द्वारा ऑनलाईन भरे गये आवेदन के आधार पर ही निर्णय लेना सुनिश्चित किया जाय।"*** जिसके आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा इनके (श्रीमती रंजू सहनी) अपीलवाद को अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत पुनरीक्षणवाद अस्वीकृत किया जाता है।

आई0टी0 सहायक को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर इस आदेश को आयुक्त कार्यालय के बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL